तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 28 / 2018 बअनवान जीवण वगै. बनाम गणेशमल वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.01.2022	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अवकाश पर होने से अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.01.2022 को पेश आवेदन–पत्र बाबत पत्रावली तलब करने बाबत् में पारित आदेश की पालना में पत्रावली आज प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट श्री राणाराम गौड़ उपस्थित। रेस्पोडेंट अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा को पत्रावली मुख्यालय जोधपुर पर सुनवाई हेतु नियत करने की सूचना उनके मो.न. 9414493674 पर न्यायालय के कनिष्ठ सहायक द्वारा अपने मो.न. 9001396531 से दिनांक 10.01.2022 को समय 12:09 पीएम पर कॉल कर दी गई। न्यायालय हाजा के पीठासीन अधिकारी द्वारा वक्त बहस रेस्पोडेंट अधिवक्ता को न्यायालय के लैण्ड लाईन फोन से कॉल कर न्यायालय के समक्ष हाजिर होने बाबत सूचना दी गई जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की, न्यायालय समय से पहले तक वकील रेस्पोडेंट का इंतजार किया बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तत्पश्चात अपीलांट अधिवक्ता को बहस हेतु अनुमति दी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना पारित किया गया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंटस द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटगण की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण बाकायदा रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज होकर उनका इस पर वक्त सैटलमेंट से कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार, जिसके विरूद्ध अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटगण को बाधित करने से अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। अतः मामला पृथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलांटस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2017 को अपास्त किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अमर की जारी कर अपीलांटस को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि मौजा नौखड़ा के खेत खसरा संख्या 354 रकबा 89 बीघा, खसरा संख्या 354/2 रकबा 07.12 बीघा एवं खसरा संख्या 354/4 रकबा 55.02 बीघा तथा मौजा गुऊओ का कुंआ के खेत खसरा संख्या 542 रकबा 35.08 बीघा, खेत खसरा संख्या 618 रकबा 57 बीघा, खसरा संख्या 543 रकबा 64.17 बीघा, खसरा संख्या 623 रकबा 42.16 बीघा एवं मौजा जगराम की ढाणी के खेत खसरा संख्या 468 रकबा 134.14 बीघा, खसरा संख्या 468/2 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 493 रकबा 85.02 बीघा में वादीगण के दावाकृत 1/3 हिस्से तक की भूमि का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर